न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्याः—7/2019 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S . no 2019/00008)

रामरूप पुत्र स्व0 श्री राजहंस शर्मा जाति ब्राहमण निवासीगढी रिडावली थाना राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 27.8.2018

उपस्थितिः—

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 17.7.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 27.8.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अनुज्ञाधारी का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट ने आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 1.1.2018 को तहत अदालत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस संबध में तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1304 दिनांक 6.4.2018 में आवेदक के विरूद्ध आपराधिक मुकदमें का हवाला देते हुये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसके आधार पर तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.8.2018 पारित करते हुये अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 8/1980 तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है इस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 8/1980 जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा विधिवत रूप से जारी किया गया है जो काफी पुराना है । जिसे अपीलान्ट नियमित नवीनीकृत कराता रहा है। अनुज्ञापत्र जारी होने के दिनांक से आज दिनांक तक अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञापत्र की समस्त शर्तों की नियमानुसार पालना की गई है। कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग भी नहीं किया है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था जिसको आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत कराने हेतु नियमानुसार समयावधि में प्रार्थना पत्र दिनांक 1.1.2018 को प्रस्तुत कर दिया गया था, किन्तु तहत अदालत ने जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 6.4.2018 के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध मु0नं0 323/10 दर्ज है जिसमें चालान दिनांक 7.12.2011 को माननीय श्रीमान एम0जे0एम0 साहब राजाखेडा के यहां प्रस्तुत हो चुका है। जबकि वास्तविकता यह है कि जिस मुकदमा संख्या 323/2010 को अपीलाधीन आदेश में आधार बनाया गया है उसका निर्णय दिनांक 30.6.2018 को हो चुका है और निर्णय में अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जाकर बरी किया गया है। इसके अलावा तहत अदालत ने अपीलान्ट को जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस कमांक 1850–51 दिनांक 17.5.2018 जारी किया गया जिसके जबाब में अपीलान्ट ने अंकित किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध 323/2010 झूठा मुकदमा बनाया गया है अपीलान्ट का अवैध खनन से कोई संबध नहीं है एफ0आई0आर0 अनजाने में की गई है लेकिन अपीलान्ट के जबाब पर तहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया और मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया गया है जो काबिले मंसूखी है। जबाब प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त तहत अदालत ने अपीलान्ट को जिरह करने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और अपीलान्ट की बैक पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । अपीलान्ट एक शांतिप्रिय सामाजिक व्यक्ति है। जिसने कभी भी अपने शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है न ही भविष्य में कोई मंशा रखता है। अपीलान्ट ने तो केवल अपने परिवार एवं आत्मरक्षा के लिये अनुज्ञापत्र ले रखा है अपीलान्ट एक घर गृहस्थी के साथ सामाजिक जीवन यापन कर रहा है यदि अपीलान्ट की पृष्ठभूमि आपराधिक होती तो आये दिन थाना हाजा पर मुकदमें दर्ज होते लेकिन ऐसा कतई नहीं है । जिस मुकदमें को अपीलाधीन आदेश में आधार बनाया गया है वह भी सक्षम अदालत द्वारा अपीलान्ट के ही हक में निर्णित किया गया है जिसमें अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जाकर वरी किया गया है निर्णय दिनांक 30.6.2018 की प्रति पत्रावली पर मौजूद है। उपर्युक्त तमाम तथ्यों को नजर–अंदाज कर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है जिससे अपीलान्ट को सख्त हक–तलफी पैदा हो गई है। चूंकि अपीलधीन आदेश न्याय, नियम, रिकार्ड, तथ्यों से परे अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया था जिसका इल्म अपीलान्ट को कतई नहीं होने दिया गया। दिनांक 8.1.2019 को निर्णय दिनांक 30.6.2018 की प्रमाणित प्रति लेकर जब तहत अदालत पंहुचा तब अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.8.2018 की जानकारी हुई। तत्सयम नकल के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 9.1.2019 को प्राप्त हुई। अतः तारीख जानकारी से अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जावे जिसके लिये पृथक से प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र संलग्न किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय दिनांक 27.8.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा अदालत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.8.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र संख्या 8/80

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था। जिसको नवीनीकृत किये जाने की कार्यवाही के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 6.4.2018 प्राप्त की गई तो जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के मध्यम से यह स्पष्ट किया कि शस्त्र धारक/अपीलान्ट के विरूद्ध थाना हाजा में मु0नु0 323/10 दर्ज है। जिसमें बाद अनुसंधान चार्जशीट नं0 90/31.5.2011 धारा 379, 411, 120बी आई0पी0सी व 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में किता कर चालान दिनांक 7.12.2011 को पेश माननीय न्यायालय श्रीमान एम0जे0एम0 साहब राजाखेडा में किया जा चुका है । साथ ही आवेदक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। अपीलान्ट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति स्पष्ट होने से तथा अपीलान्ट की ओर से यह तथ्य छुपाये जाने की स्थिति अपीलान्ट के संदिग्ध चरित्र को बखूबी दर्शाती है जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुये तथा शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने के दृष्टिगत तहत अदालत द्वारा बखूबी न्यायसंगत आदेश पारित किया गया है जो उचित है। इसके अलावा यह अपील मियाद बिन्दु पर भी खारिज योग्य रहती है क्यों कि अपीलान्ट ने कोई तथ्यात्मक कारण अपने दफा–5 प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये है। अन्त में सहायक लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक दिनांक 27.8.2018 आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) के तहत पारित किया गया है जो विधिसंगत है । अपील अपीलान्ट खारिज करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.8.2018 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
''Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नियमानुसार दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था, जिसे आगामी वर्षों के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 1.1.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा दौराने नवीनीकरण कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट क्रमांक 6.4.2018 प्राप्त की गई। तहत अदालत द्वारा संभवतः स्वयं की ओर से कोई जांच न करते हुये उक्त रिपोर्ट में अंकित मु0सं0 323/10 का हवाला देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हमारी विनम्र राय में एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही महत्वपूर्ण होता है। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 6.4.2018 में अपीलान्ट के खिलाफ मुकदमा दायर होना अंकित है किन्तु उस मुकदमें में सक्षम अदालत द्वारा क्या निर्णय पारित किया गया है अंकित नहीं है। यहां यह आवश्यक हो जाता है कि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना एक अलग बात है और उस मुकदमें में दोषी पाया जाना दूसरी बात है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उस पर लगाये गये अपराध के संदर्भ में दोषी करार न दे दिया जाये तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। पत्रावली पर उपलब्ध माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.6.2018 की छाया प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है सक्षम अदालत द्वारा अपीलान्ट को दोषमुक्त कर वरी किया जा चुका है। तहत पत्रावली में संलग्न जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 13.8.2018 भी इस तथ्य की बखूबी ताईद करती है। इस रिपोर्ट की बिन्दु संख्या 2 में स्पष्ट किया गया है कि ''.....माननीय न्यायालय द्वारा अपने फैसला दिनांक 30.6.2018 में आवेदक को सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जा चुका है.....'' इसके अलावा अन्य कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलान्ट के नेक–चलनी को संदिग्ध माना जा सके। तहत अदालत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा माने गये अपीलान्ट के आचरण संबधी शकशुवा की स्थिति को वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये स्पष्ट करने के लिये प्रकरण में हमारे ख्याल से अभी विस्तृत जांच किया जाना अपेक्षित रहता है। ताकि अपीलान्ट के चालचलन की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके क्यों कि एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही मायने रखता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नही मानते हुऐ पुनः निर्णय के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.8.2018 निरस्त किया जाकर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेडा (धौलपुर) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.6.2018 के परिपेक्ष्य में प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर तथ्यों एवं संभावनाओं के परस्पर विरोधाभास को दूर करते हुये पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 17.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official